:: आदेश ::

शासनादेश संख्या–406/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 22.06.2024 एवं शासनादेश संख्या–633/XVIII-B-1/2024-12(7)/2018 दिनांक 03.07.2024 से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत प्राप्त धनराशि में से प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त निम्न कार्य योजना के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला को 02 कार्ययोजनाओं के सापेक्ष ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख मात्र) की धनराशि निम्न प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	तहसील/खण्ड/ग्राम का नाम/स्थान का नाम	कार्य योजना का नाम	कार्यदायी संस्था	आगणन लागत (रू० लाख में)	मूल्यांकन समिति द्वारा अनुमोदित धनराशि (रू० लाख में)
1	तेजम/मुनस्यारी/भैसखाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बांये पार्श्व पर स्थित ग्राम तल्ला भैसखाल के कटाव निरोधक कार्य	सिंचाई खण्ड धारचूला	7.50	6.00
2	तेजम/मुनस्यारी/भैसखाल	जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड मुनस्यारी के अन्तर्गत रामगंगा नदी के बाएं पार्श्व पर स्थित ग्राम भैसखाल के इनफिल्ट्रेशन वेल के डी0/एस0 में कटाव निरोधक कार्य का प्राक्कलन	सिंचाई खण्ड धारचूला	5.15	4.00
		योग			10.00

प्रभारी अधिकारी दैवीय आपदा/आहरण वितरण अधिकारी, जिला कार्यालय, पिथौरागढ उक्त स्वीकृत कुल धनराशि ₹ 10.00 लाख का प्रथम किस्त के रूप में 70% ₹ 7.00 लाख (₹ सात लाख मात्र) को कोषागार से आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, कार्य पूर्ण होने पर अवशेष 30% धनराशि का मुगतान किया जायेगा। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग निम्न प्रतिबन्धों के अनुसार तत्काल कराना सुनिश्चित करें। कार्यदायी संस्था द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त उक्त योजना को Geo tagging से कराया जाना अनिवार्य होगा।

जनहित में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि अन्तर्गत में आवंटित बजट के सापेक्ष अधिकतम कार्ययोजनाओं को धनराशि वितरित की जा रही है। कार्यदायी संस्था उपरोक्त स्वीकृत योजनाओं में आवंटित की जा रही धनराशि में से यदि किसी कार्य योजना का कार्य पूर्ण न होने की दशा में अवशेष धनराशि अपने विभागीय बजट व अन्य मदों से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगें।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग को अधिशासी अभियन्ता से दरों की स्वीकृति कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय।

2– कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करेंगें ।

– कार्य कराने से पूर्व संबंधित कार्यदायी संस्था स्थल का निरीक्षण कर लें तथा यह सुनिश्चित करें कि अग्रिम के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग जनहित में आपदा प्रभावित क्षेत्र के परिवारों की सहायता हेतु प्रभावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है ।

– कार्य कराने से पूर्व स्थल का आवश्यकतानुसार विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ले। बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय एवं वित्तीय नियमों का पालन कड़ाई से किया जाय। जिन आंगणनों में स्लिप लिया गया है, कार्य कराने से पूर्व माप पुस्तिका से रिकार्ड मैजरमैन्ट इंगित अवश्य कराये जाय तथा इसका सत्यापन अधिशासी अभियन्ता स्वयं करें ।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय।इसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था/निर्माण इकाई का होगा।

6– संबंधित कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य इसी वर्ष दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त है। स्वीकृत धनराशि नये निर्माण कार्यों में कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

7– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त मरम्मत कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय मद में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी तथा शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक/विभागीय परिसम्पत्तियों पर ही आपके द्वारा प्रस्तुत आंगणनों का तकनीकी परीक्षण उपरान्त आंकलित धनराशि के अनुसार ही खर्च की जायेगी । ध्यान रखें कि सामान्य मरम्मत के कार्य दैवी आपदा की परिधि में नही आते है । अतः स्वीकृत की जा रही सामान्य मरम्मत के कार्यो, नवनिर्माण कार्यो तथा विकास कार्यों में किसी भी दशा में व्यय न करें ।

9– दैवी आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि के व्यय, कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमित्ता, गुणवत्ता तथा विभागीय मानकों की अवहेलना आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध प्रथम दण्ड के रूप में वसूली, द्वितीय दण्ड के रूप में वसूली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा तृतीय दण्ड के रूप में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

0– कार्य की गुणवत्ता एवं समयवद्धता के लिए संबंधित कार्यदायी संस्था एवं निर्माण ऐजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगें ।

– कार्य स्वीकृत लागत में पूर्ण कर लिये जायेगें एवं लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं टेण्डर आदि विषयक नियमों का पूर्ण अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा ।

- इस मद से कराये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व के तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ एवं वीडियोग्राफ आवश्यक रूप से रिकार्ड हेतु सुरक्षित रखे जाय। कार्य की सत्यता एवं गुणवत्ता का परीक्षण संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार ही संबंधित कार्य दायी संस्था को भुगतान किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर इस मद से निर्मित कार्य योजना का नाम लागत दिनांक तथा मद का नाम सीमेन्ट कंकरीट एवं बोर्ड पर अंकित कर दिया जायेगा । कार्य का सत्यापन उप जिलाधिकारियों से कराया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र फोटोग्राफ तथा सत्यापन आख्या यथा समय प्रस्तुत किया जायेगा ।

उपरोक्त निर्देशानुसार धनराशि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आंगणन/तकनीकी परीक्षण उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों, समय–समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों/प्रकिया का अनुपालन न होने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता/कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप स उत्तरादायी रहेंगे ।

कार्यदायी संस्था **अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला** द्वारा नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने उपरान्त प्रपत्र–1, प्रपत्र–2 एवं प्रपत्र–3 में सूचना जिला कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी। निर्धारित की गई अवधि के अन्दर औपचारिकतायें पूर्ण न किये जाने पर कार्यदायी संस्था के विरूद्ध होने वाली कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होगें।

15- कार्यदायी संस्था को कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व कार्य के मध्य, कार्य पूर्ण होने के पृथक-पृथक फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण पत्र 45 दिन अन्तर्गत संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा ।

16- संबंधित कार्यदायी संस्था सभी अभिलेख सम्परीक्षा हेतु अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। जिला कार्यालय के दैवी आपदा अनुभाग में महालेखाकार/राजस्व परिषद द्वारा सम्परीक्षा किये जाने पर अभिलेखों को सम्परीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली संशोधित-2017 का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

दिनांक 31 अगस्त, 2024

(विनोद गोस्वामी जोशी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।

कार्यालय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण पिथौरागढ़।

संख्या-1277/न्यूनीकरण निधि/आ0प्र0/2024-25 दिनांक 31 अगस्त, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, आपदा प्रबन्धन,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2- महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
3- उप जिलाधिकारी, धारचूला/मुनस्यारी
4- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
5- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड धारचूला।
6- कार्यालय प्रति ।

(जोशी)
जिलाधिकारी,पिथौरागढ़।